<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>20/12/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने **छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस** में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 18.12.2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर और गरियाबंद जिलों में स्थित 6 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशियां आबिद ढेबर और मोहम्मद हसन रजा मेमन (दोनों गरियाबंद से), मोहम्मद गुलाम मेमन, सरफराज मेमन और मोहम्मद हसन रजा मेमन (सभी मैनपुर, जिला-गरियाबंद से) और सरफराज मेमन, रायपुर पर की गई, जो अनवर ढेबर के सहयोगी हैं।

ईडी की जांच से पहले पता चला था कि अनवर ढेबर अनिल टुटेजा और अन्य के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित शराब सिंडिकेट का सरगना है। अनवर ढेबर ने इस मामले में उत्पन्न लगभग सभी अपराध आय (पीओसी) को संभाला है। इस स्तर पर उत्पन्न पीओसी लगभग 2161 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सिंडिकेट के निर्बाध संचालन के लिए राज्य प्रशासन के प्रबंधन में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी के दस्तावेज भी एकत्र किए गए थे। 2019 से 2022 के बीच चले शराब घोटाले में ईडी की जांच से पता चला कि पीओसी अवैध कमीशन के रूप में उत्पन्न किया गया था जो कई तरीकों से उत्पन्न किया गया था:

• **पार्ट-ए कमीशन:** सीएसएमसीएल यानी शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय द्वारा उनसे खरीदी गई शराब के प्रत्येक 'केस' के लिए डिस्टिलर्स से रिश्वत ली जाती थी।

• **पार्ट-बी कच्ची शराब की बिक्री:** बिना हिसाब-किताब वाली कच्ची शराब की बिक्री। इस मामले में, राज्य के खजाने में एक भी रुपया नहीं पहुंचा और बिक्री की सारी रकम सिंडिकेट ने हड़प ली। अवैध शराब केवल राज्य द्वारा संचालित दुकानों से बेची जाती थी।

• **पार्ट-सी कमीशन:** कार्टेल बनाने और बाजार में निश्चित हिस्सेदारी रखने के लिए डिस्टिलर्स से रिश्वत ली जाती थी।

• **एफएल-10ए लाइसेंस धारकों से कमीशन**, जिन्हें विदेशी शराब के क्षेत्र में भी कमाई के लिए प्रस्तुत किया गया था।

तलाशी अभियान के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, नकदी और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। तलाशी में यह भी पता चला कि अनवर ढेबर के सहयोगियों ने जांच अवधि के दौरान कई अचल संपत्तियां खरीदीं, जो उनकी घोषित आय के स्रोतों से अधिक हैं। जब्त किए गए दस्तावेजों से यह भी पता चला कि संपत्तियां बाजार मूल्य की तुलना में बहुत कम कीमत पर खरीदी गई थीं, जो पीओसी से उत्पन्न नकदी घटक के उपयोग को उजागर करती हैं। इसके अलावा, तलाशी कार्रवाई के दौरान, कई परिसरों से करेंसी नोट गिनने वाली मशीनें भी मिलीं, जो इन व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में नकदी संभालने के साक्ष्य को उजागर करती हैं।

इस मामले में, 205 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क करने का एक कुर्की आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। अब तक इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभियोजन शिकायत के साथ-साथ दो पूरक पीसी दायर किए गए हैं, जिस पर माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।